27/14/2012-एस0आर0एस0

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय

(कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 26 जून 2013 ।

सेवा मे,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
सचिवालय, देहरादून ।

विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुसार श्री जीतलाल रत्नाकर से अनुसूचित जाति / जनजाति आवंटन दिशानिदेश के अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निस्तारण ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक मे श्री जीतलाल रत्नाकर, कुर्सी बुनकर, राजस्व विभाग, से प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि कार्मिक द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति आवंटन दिशानिदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन हेतु आवेदन किया गया है । समिति द्वारा संज्ञान मे लिया गया कि श्री रत्नाकर जिला संवर्ग के कर्मचारी हैं । अनुसूचित जाति / जनजाति आवंटन दिशानिदेश के अंतर्गत जिला संवर्ग के कर्मचारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को निरस्त किये जाने कि संस्तुति की गई ।

2. भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री जीतलाल रत्नाकर, कुर्सी बुनकर, उत्तराखंड राज्य मे बने रहेंगे ।

संबन्धित कार्मिक को निर्णय के बारे मे सूचित किया जाये ।

ok

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
आवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

(1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
(2) श्रीमति हेमलता ढौंडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg., L.N. Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
26 JUN 2013
जारी किया/ISSUED